आदेश पत्रक — प्रमाणित आदेश दि० 27/03/2021

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :इलाहाबाद,जनपद :कौशाम्बी,तहसील :सिराथू
वाद संख्या :-01674/2021
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202102420401674
लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80,अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006

मौजा–अझुवा　　　　परगना–कड़ा　　　　तहसील सिराथू जनपद–कौशाम्बी

निर्णय

प्रस्तुत वाद लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी अझुवा कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक अनुज सिंह पुत्र बाबू सिंह नि0–न0पं0 अझुवा परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी द्वारा इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी मौजा अझुवा की आराजी संख्या–150मि0/0.886हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 160/0.498हे0 का 1/3 अंश रकबा 0.166हे0 कुल 2 गाटा रकबा 1.052हे0 भूमि है जिस पर मकान बना है, जिसे अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाय।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित तथ्यों पर तहसीलदार की जॉच आख्या दिनांकित 18.03.2021 जो क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 16.03.2021 व रा0नि0 की आख्या दिनांक 16.03.2021 पर आधारित है, मौके के फोटोग्राफ के साथ प्राप्त हुई, जिसमे यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम अझुवा की भूमि आराजी संख्या–150मि0/0.886हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 160/0.498हे0 का 1/3 अंश रकबा 0.166हे0 कुल 2 गाटा रकबा 1.052हे0 संक्रमणीय भूमिधर है, इसी भूमि पर आवेदक ने मकान बना लिया है। कोई कृषि कार्य नही हो रहा है, भूमि अकृषिक है, कुक्कुट पालन इत्यादि नही हो रहा है। सर्किल रेट 26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की मालियत मु0–27,35,200/–होता है, जिसका 1 प्रतिशत 27352/– रू. का स्टाम्प शुल्क देय है। अतः मौजा अझुवा के उक्त आराजी संख्या–150मि0/0.886हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 160/0.498हे0 का 1/3 अंश रकबा 0.166हे0 कुल 2 गाटा रकबा 1.052हे0 को अकृषिक/आवासीय घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित है। तहसीलदार सिराथू के उपर्युक्त आख्या कम में प्रार्थी द्वारा शुल्क के रूप मे मु0–27500/–रू0 के स्टाम्प [5000x5, 1000x2, 500x1] प्रस्तुत किये गये।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिराथू की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि वादी ग्राम अझुवा परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की खतौनी फसली सन् 1427–1432 के खाता संख्या–0074 की आराजी संख्या–150मि0/0.886हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 160/0.498हे0 का 1/3 अंश रकबा 0.166हे0 कुल 2 गाटा रकबा 1.052हे0 की संक्रमणीय भूमिधर है, तहसीलदार सिराथू की आख्यानुसार उक्त भू–भाग भूमि पर आवेदक ने भवन निर्माण करा लिया है, कोई कृषि कार्य नही हो रहा है, भूमि अकृषिक है, कुक्कुट पालन इत्यादि नही हो रहा है। ऐसी स्थिति मे वादी की उपर्वर्णित भूमि 1.052हे0 भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने मे कोई विधिक् अड़चन नही प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों/विवेचना के आलोक मे ग्राम अझुवा परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की खतौनी फसली सन् 1427–1432 के खाता संख्या–0074 की आराजी संख्या–150मि0/0.886हे0 सम्पूर्ण व गाटा सं0 160/0.498हे0 का 1/3 अंश रकबा 0.166हे0 कुल 2 गाटा रकबा 1.052हे0 से वादी लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी अझुवा कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक अनुज सिंह पुत्र बाबू सिंह नि0–न0पं0 अझुवा परगना कड़ा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी की भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है। परवाना अमल–दरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी,सिराथू
कौशाम्बी।

दिनांक: 27/03/2021

(मुहर: न्यायालय उपजिलाधिकारी सिराथू, जनपद कौशाम्बी)

प्रबन्धक
महात्मा बुद्ध महाविद्यालय
अजुहा–कौशाम्बी

Scanned with OKEN Scanner